प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिए

संख्या 00805/2021-2022 दिनांक 12/10/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण पत्रावली संख्या:AZ-6200 दिनांक:2001-2002

संख्या:R/AZA/09907/2021-2022

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामदेनी सिंह जगदीश सिंह स्मारक समिति, रैनापार, बाटपार [illegible], ग्राम-बघावर, पो0-ताहिरपुर, तह0-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़, उ0प्र0, आजमगढ़ , 276122 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 222/2001-02 दिनांक-05/07/2001 को दिनांक-04/07/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(SANTOSH KUMAR SINGH)
458AB007798F32EE4312242F42A91E97592C681E
Date: 12/10/2021 1:53:07 PM, Location: Azamgarh.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

जारी करने का दिनांक-12/10/2021

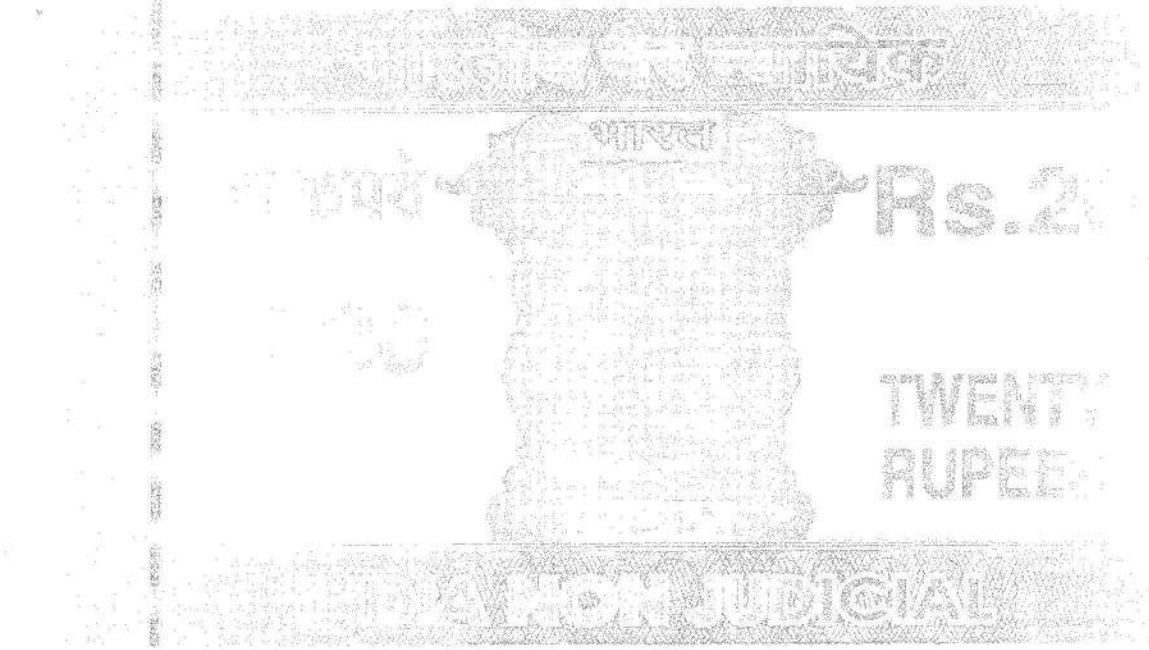

भारत

Rs.2

TWENT
RUPEE

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AA 578821

उक्त जनरल स्टाम्प श्री रामधनी सिंह - जगदीश सिंह मेमोरियल समिति रौनापार लाटघाट मार्ग ग्राम - बघावर पो० ताहिरपुर जिला आजमगढ़ रजि० नं० AZ-6206 संशोधित स्मृतिपत्र के साथ संलग्न है।

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक 11/11/2015
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
11/11/15

मिलानकर्ता

प्रतिलिपिकर्ता

-: संशोधित स्मृति पत्र :-

१:संस्था का नाम : श्री रामदेनी सिंह-जगदीश सिंह मेमोरियल समिति ।

२:संस्था का पता : रौनापार-लाटघाट मार्ग ग्राम बधावर पो० ताहिरपुर, तह० सगड़ी, : जिला- आजमगढ़, उ०प्र० ।

३:संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

४:संस्था के उद्देश्य १ : कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना ।

२: निःशुल्क पुस्तकालयों,वाचनालयों,क्रीड़ास्थलों,छात्रावासों, वृद्धाश्रमों,अनाथालयों बाल संरक्षण गृहों आदि की स्थापना व संचालन करना ।

३: गरीब हरिजन,विकलांग, मेधावी, निराश्रित, असहाय, अनाथ, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, श्रमिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

४: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विकलांग विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, कान्वेण्ट विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों आई०एस०ई० विद्यालयों, सी०बी०एस०ई० विद्यालयों, मेडिकल कालेजों,एल०एल०बी० कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, आदि की स्थापन व संचालन सम्बन्धित विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिलाई, कटाई, कढ़ाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर शिल्पकला, काष्ठकला, कम्प्यूटर, टंकण,आशुलिपि, इलेक्ट्रानिक आदि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना व संचालन करना ।

६: महिलाओं के विकास के लिए प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालिका विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना ।

७: कृषि विकास एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु हर सम्भव प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकी यंत्रों, खादों, बीजों, कीटनाशक दवाओं आदि के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

८: कृषि उपज का जायज मूल्य प्राप्ति हेतु मिनी राइसमिलों, तेल मिलों आदि की स्थापना व संचालन करना ।

९: कृषि विकास में सहयोगी पशुपालन, मत्स्यपालन, बकरीपालन,मुर्गी पालन, सुअरपालन, मधुमक्खीपालन, रेशम कीट पालन आदि व्यवसाय को ग्रामोद्योग के अन्तर्गत करना तथा इन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करना

सत्य प्रतिलिपि
11|11|2015
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।
11|11|15

निशानकर्ता 11-11-15
प्रतिकर्ता

१०: सूचना, प्रयोगिकी, किसान, पशु विज्ञान आदि के क्षेत्र में कार्य करना ।

११: पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा ऊसर एवं बेकार भूमियों पर वृक्षारोपण कार्य करना ।

१२: पर्यटल स्थलों का विकास एवं सजावट का कार्य सम्बन्धित विभाग की अनुमति से करना ।

१३: प्रदुषण पैदा करने वाले वाहनों में सुधार की निःशुल्क सलाह देना तथा उन्हें सुधारने में मदद करना ।

१४: समाज में फैली कुरीतियों यथा बाल विवाह, छुआछूत, नशा आदि को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना तथा इसके निमित्त जन जागरण करना ।

१५: बालक, बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक,चारित्रिक, शैक्षिक व सामाजिक विकास के लिए खेलों, सेमीनारों आदि का आयोजन एवं संचालन करके सफल लोगों को पुरस्कृत करना ।

१६: संस्था विकास के लिए सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट संस्थाओं, जनता, खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन आदि से ऋण, अनुदान, दान,चन्दा, आदि प्राप्त करना तथा उसे संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना जो कि सो० रजि० ऐक्ट की धारा ५ के अन्तर्गत हो ।

१७: मातृ शिशु कल्याण योजनाओं का कियान्वयन करना तथा लोगों को निःशुल्क परिवार नियोजन की सही व उचित सलाह देना एवं जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों,, टीकाकरण शिविरों, आंख आपरेशन शिविरों आदि का आयोजन एवं संचालन करना ।

१८: खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी कमीशन, ग्रामोद्योग बोर्ड के पैटर्नानुसार मोमबत्ती, अगरबत्ती, दियासलाई, वाशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, मुरब्बा, अचार आदि बनाने हेतु लघु उद्योगों एवं प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना ।

१९: जन विकास में निःशुल्क पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं वितरण करा तथा इसके निमित्त कार्य करना ।

२०: भारत सरकार द्वारा संचालित २० सूत्रीय कार्यकमों का संचालन करना

२१: गांवों का विकास करना तथा गांवों में निःशुल्क पेयजल, सफाई आवागमन आदि की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करना ।

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक ।।।२०१५
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।
११।११।१४

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

२२: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बी०टी०सी०, बी०एड०, बी०पी०एड०, सी०पी०एड०, डेन्टल, फार्मेसी, बायोटेक्नालाजी, पालिटेक्निक, आई०टी०आई०, एम०बी०ए०, महिला डिग्री कालेज, आर्कीटेक्चर, संगीत, स्पोर्ट्स, टेक्सटाइल, फैशन टेक्नोलाजी, कृषि, सुदूर शिक्षा, लाईब्रेरी, विकलांग, नर्सिंग, पैरा मेडिकल, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्यो पैथिक, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान, कार्मस, कम्प्यूटर अप्लीकेशन, फूड संरक्षण आदि के क्षेत्र में छात्रों हितों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

२३: जनपद के विकास तथा छात्रों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना तथा सेमीनार, संगोष्ठि, खेलकूद तथा खेलों के प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

२४: सरकारी तथा अर्ध सरकारी आन लाइन परीक्षाओं का आयोजन कराने में सहयोग विभागीय अनुमति से प्रदान करना ।

२५: उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

सत्यापित प्रतिलिपि
उपनिबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।
11/11/15

निबन्धकर्ता
पत्रिका कर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AL 339654

श्री रामदेनी सिंह
जगदीश सिंह मेमोरियल समिति
आजमगढ़ रजि. नं. 6206
प्रबन्ध समिति 2020-21

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चि...

श्री रामदेनी सिंह-जगदीश सिंह मेमोरियल समिति, रौनापार-लाटघाट मार्ग ग्राम- बघावर पो०- ताहिरपुर, तह०- सगड़ी, जिला- आजमगढ़ के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष २०२०-२०२१

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१-श्री चन्द्रिका सिंह	स्व० विक्रमादित्य सिंह	ग्राम,पो० उकरौड़ा, आजमगढ़	अध्यक्ष	कृषि
२-[illegible]	[illegible]	श्री दुर्गा जी पी०जी० कालेज, चण्डेश्वर,आजमगढ़	उपाध्यक्ष	"
३-श्री रामप्रताप सिंह	स्व० रामाधीन सिंह	ग्राम सोनापुर पो० सेवटा, आजमगढ़	संरक्षक/ व्यवस्थापक	"
४-श्रीमती रीता सिंह	स्व० रामाधीन सिंह	ग्राम बघावर पो० ताहिरपुर, आजमगढ़	सचिव	गृहिणी
५-श्री विनोद कुमार सिंह	स्व० रामदेनी सिंह	" "	कोषाध्यक्ष	कृषि
६-श्री प्रमोद कुमार सिंह	स्व० जयराम सिंह	ग्राम,पो० पासीपुर, आजमगढ़	सदस्य	"
७-श्री राहुल शाही	श्री विनय कुमार शाही	ग्राम,पो० बेलघाट,गोरखपुर	"	"

हस्ताक्षर

RpSingh प्रमोद रीतासिंह Vinod

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़

५: संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम ,पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया :-

क्र०सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री चन्द्रिका सिंह	ग्राम,पो० उकरौड़ा, आजमगढ़	अध्यक्ष	कृषि
२:डा० फूलचन्द्र सिंह	श्री दुर्गा जी पी०जी० कालेज, चण्डेश्वर आजमगढ़	उपाध्यक्ष	,,
३:श्री नवनीत सिंह	ग्राम बधावर पो० ताहिरपुर,आजमगढ़	संरक्षक/ व्यवस्थापक	,,
४:श्रीमती रीता सिंह	,,	सचिव	गृहिणी
५:श्री विनोद कुमार सिंह	,, ,,	कोषाध्यक्ष	कृषि
६:श्री प्रमोद कुमार सिंह	ग्राम,पो० पासीपुर, आजमगढ़	सदस्य	,,
७:श्री रामप्रताप सिंह	ग्राम सोनापुर पो० सेवटा,आजमगढ़	,,	,,

८:हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सो०रजि०ऐक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं ।

दिनांक 04/11/2014 सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

Navneet

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक 11/11/2014
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट
फंड्स आजमगढ़ ।
11/11/14

मिलानकर्ता 11-11-14
निरीक्षणकर्ता

: नियमावली :

1: संस्था का नाम — श्री रामदेनी सिंह – जगदीश सिंह मेमोरियल ट्रस्ट समिति ।

2: संस्था का पता — सेनापार, लाटघाटमार्ग, ग्राम व्यावर, पो0 ताहिरपुर, तह० सगड़ी, आजमगढ़ उ०प्र० ।

3: संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

4: संस्था के उद्देश्य — स्मृति पत्र के अनुसार

5: संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

आजीवन सदस्य — जो व्यक्ति संस्था को एक बार में कम से कम 5000 रुपया या उससे अधिक मूल्य की चल/ अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से दान स्वरूप देंगे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

संरक्षक सदस्य — जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितकारी भाव रखने वाले होंगे तथा संस्था को 20। रुपया हर तीसरे साल चन्दा देते रहेंगे संस्था के संरक्षक सदस्य बने रहेंगे ।

सामान्य सदस्य — जो व्यक्ति संस्था हित में सदैव कार्यरत रहेंगे तथा संस्था को 2। रुपया वार्षिक चन्दा देते रहेंगे संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेंगे।

नोट: डा0 अमेरिका सिंह संस्थापक/व्यवस्थापक द्वारा जारी की गयी सदस्यता रसीद ही मान्य होगी इनकी संस्तुति हो जाने पर ही कोई व्यक्ति सदस्य बन सकता है, विवाद की स्थिति में डा0 अमेरिका सिंह संस्थापक/ व्यवस्थापक का निर्णय अंतिम होगा।

6: सदस्यता की समाप्ति
1: मृत्यु होने पर।
2: पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर।
3: संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
4: त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
5: लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित सूचना दिये अनुपस्थित होने पर।
6: किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक केस में दण्डित किये जाने पर।
7: सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर।
8: संस्थापक/ व्यवस्थापक की आज्ञा का उल्लंघन करने पर।

7: संस्था के अंग
1: साधारण सभा
2: प्रबन्धकारिणी समिति

8: साधारण सभा

गठन — नियमावली के नियम 5 के सभी सदस्य मिल कर साधारण सभा का गठन करेंगे।

बैठके — साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी । आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि — साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर 1। दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

कोरम — साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा, कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि: साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जो माह जनवरी की 26 तारीख को मनाया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:

1: प्रबन्धकारिणीसमिति का चुनाव कराना।
2:संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3:संस्थाहित में हर प्रकार के कार्य करना।
4:संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना।
5:संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।

9:प्रबन्धकारिणीसमिति

गठन — प्रबन्धकारिणीसमिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 5 पदाधिकारी एवं 2 सदस्य होंगे कुल संख्या 7 होगी ।

बैठके — प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि — प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

कोरम — प्रबन्धकारिणीसमिति का कोरम कुल सदस्यों/पदाधिकारियों का 1/3 बहुमत के आधार पर माना जायेगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति: प्रबन्धकारिणीसमिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्ति होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेष काल के लिए साधारण सभा में से नियमानुसार की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणीसमिति के अधिकार व कर्तव्य:

1:संस्थाहित में सभी प्रकार के कार्य करना।
2: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारण सभा से पास करवाना।
3:कर्मचारियों की नियुक्ति /पदोन्नति/पदच्युति/वेतनवृद्धि तथा अन्य कार्यवाही संस्थापक/ व्यवस्थापक की लिखित संस्तुति पर करना।
4:संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना।
5:स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना।
6:संस्थापक / व्यवस्थापक की संस्तुति पर उपसमितियों का गठन एवं संचालन करना।

कार्यकाल — प्रबन्धकारिणीसमिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पाँच साल तक होगा।

10: प्रबन्धकारिणीसमिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य:-

अध्यक्ष
1:सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2: बैठकों की अध्यक्षता करना, उनको बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना।
3: बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
4: बैठकों की तिथि,समय व स्थान का निर्धारण करना।
5: बैठकों में प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति...

1: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना।

स्थापक/व्यवस्थापक

1: साधारण सभा की 2/3 बहुमत की माँग पर कार्यकारिणी भंग करना कार्यकाल बढ़ाना तथा 6 माह के अन्दर पुनः चुनाव कराना।

2: दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उनको क्रियान्वित करना।

3: संस्था के पक्ष में मिलने वाले ऋण, अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसकी रसीद देना।

4: संस्था के समस्त मूल अभिलेखों का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना।

5: किसी विवाद के निस्तारण में अपना एक निर्णायक मत देना।

6: संस्था के लिए मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।

7: बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना।

8: संस्था की ओर से सभी बिल वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

9: कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/वेतनवृद्धि तथा अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धसमिति को लिखित संस्तुति देना।

10: संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना।

11: संस्था के कर्मचारियों का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना, संतुष्ट होने पर उनको दोष मुक्त करना।

12: संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दाखिल मुकदमों की पैरवी संस्था व्यय पर करना।

13: सदस्यों से चन्दा लेना और उसकी रसीद देना।

14: सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना।

15: सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना।

16: सदस्यता योग्य पात्र व्यक्तियों का चयन करना।

17: आय व्यय का लेखा-जोखा की रिपोर्ट अपने पास रखना तथा उसे आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

18: संस्था की प्रगति का प्रचार प्रसार करना।

19: संस्था से सम्बन्धित समस्त ज्ञापनों - विज्ञापनों आदि का प्रकाशन करवाना तथा उसका भुगतान करना।

सचिव

1: संस्थापक/ व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग उसकी पूर्व अनुमति के अनुसार करना।

2: संस्थापक/ व्यवस्थापक के निर्देश पर प्रबन्धसमिति की बैठक बुलाना।

3: बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम करना।

4: संस्था के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट संस्थापक/ व्यवस्थापक को देना।

5: संस्था हित में व्यवस्थापक/संस्थापक की मदद करना।

कोषाध्यक्ष

1: आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।

2: संस्थापक/ व्यवस्थापक द्वारा स्वीकृत बिलों का भुगतान करना।

3: संस्थापक / व्यवस्थापक के निर्देश पर समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी पूर्ण के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

संस्था का कोष — संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसका संचालन संस्थापक/ व्यवस्थापक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण: आडिट

संस्था के वर्ष भर के आय व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व:-

अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दाखिल होने वाले मुकदमों की पैरवी संस्थापक/ व्यवस्थापक द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद आजमगढ़ के न्यायालय में ही देखी जा सकेगी।

संस्था के अभिलेख —
1: सदस्यता रजिस्टर
2: कार्यवाही रजिस्टर
3: स्टाक रजिस्टर
4: सूचना रजिस्टर
5: कैश बुक आदि।

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति की निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजि०ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सामूहिक दायित्व — संस्था यदि ऋण के लिए आवेदन करती है तथा उसे प्राप्त करती है तो उसके अदायगी के लिए सभी सदस्य सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से तब तक जिम्मेदार होंगे जब तक कि सम्पूर्ण ऋण अदा नहीं हो जाता चाहे वह संस्था के साधारण सदस्य भी न बने रहे।

दि० 12/[illegible]/2001 ::सत्य प्रतिलिपि:: ह०

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपिकर्ता